न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 69/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. रोबिन सिह पुत्र जगदीश सिह जाति जटसिख साकिन मानकसर तहसील संगरिया।
2. कशमीर सिह पुत्र जगदीश सिह जाति जटसिख साकिन मानकसर तहसील संगरिया।
3. हरमेल सिह पुत्र जगदीश सिह जाति जटसिख साकिन मानकसार तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश सिह पुत्र मेघ सिह जाति जटसिख साकिन मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण
2— श्री गुरमीत कलसी — वकील प्रति सं. 1

—: निर्णय :— दिनांक :— 2.6.2023

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश सिह पुत्र मेघसिह के नाम चक 20 एम.के.एस. खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072—75 के सांझा खाता में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की नकल जमाबन्दी संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो हमारी जददी जायदाद है। जिसका वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में घरू बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार वादी संख्या 1 रोबिन सिह के हिस्सा में 0.506 है. आराजी व वादी संख्या 2 कश्मीर सिह के हिस्सा में 0.759 है. व वादी संख्या 3 हरमेल सिह के हिस्सा में 0.759 है. आराजी आई है। उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक व हिस्सा शेष नही है। उक्त आराजी अनुसार वादीगण के नाम अकन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे। इसी कदर की घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी व दावेदार है। चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072—2075 में प्रतिवादी संख्या 1 की जाति अराई दर्ज की गई है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 की जाति जटसिख है। प्रतिवादी संख्या 1 के मूल निवास प्रमाण पत्र व दस्तावेज बैयनामा 01.07. 2019 दस्तावेज दिव्या कोड़ा बहक जगदीश सिह में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में उक्त त्रुटि जमाबन्दी में सहवन से हई हैं जो कि काबिल दूरूस्ती है। अतः चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मासिह वगैरा ज.स. 2072—75 मे प्रतिवादी संख्या 1 की जाति अराई की जगह जटसिख दर्ज की जावें। वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काश्त होकर चले आ रहे हे। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नही है। लेकिन उक्त अराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार होना मान लो व उक्त जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण की जाति दुरूस्त की जावे। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम से अंकन करवा देवें। इस पर पहले तो वे टाल मटोल करते रहे किन्त अन्त में इन्कार हो गये।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया कि वाद तहकीकात वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र मेघसिह के नाम दर्ज चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072—2075 के सांझा खाता में दर्ज आराजी मे से 0.506 है. आराजी का वादी संख्या 1 रोबिन सिह पुत्र जगदीश व 0.759 है. आराजी का वादी

2/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल दौलतगढ़

संख्या 2 कश्मीर सिह पुत्र जगदीश सिह व 0.759 है. आराजी का वादी संख्या 3 हरमेल सिह पुत्र जगदीश सिह खातेदार काश्तकार है। अतः इसी अनुसार वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश सिह पुत्र मेघ सिह का नाम कलमजन किया जावे एवं चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 की जाती अराई की जगह जटसिख दूरूस्त की जावें व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाती जटसिख दर्ज कि जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 रोबिन सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने फार्म नं. 3 के साथ चक 20 एमकेएस की जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 खाता संख्या 55/31 खाता आत्मासिह प्रदर्श करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 20 एमकेएस के खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा में दर्ज है जो हमारी जददी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के पुत्र है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मासिह में 2.012 हैक्ट. कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र मेघसिह के नाम दर्ज चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072–2075 के सांझा खाता में दर्ज आराजी मे से 0.506 है. आराजी का वादी संख्या 1 रोबिन सिह पुत्र जगदीश व 0.759 है. आराजी का वादी संख्या 2 कश्मीर सिह पुत्र जगदीश सिह एव 0.759 है. आराजी का वादी संख्या 3 हरमेल सिह पुत्र जगदीश सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश सिह पुत्र मेघ सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 की जाती अराई की जगह जटसिख दूरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 02/06/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/6/3

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल
दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए व 136 एलआरएक्ट
प्रकरण संख्याः– 69/2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रोबिन सिह पुत्र जगदीश सिह जाति जटसिख साकिन मानकसर तहसील संगरिया।
2. कशमीर सिह पुत्र जगदीश सिह जाति जटसिख साकिन मानकसर तहसील संगरिया।
3. हरमेल सिह पुत्र जगदीश सिह जाति जटसिख साकिन मानकसार तहसील संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. जगदीश सिह पुत्र मेघ सिह जाति जटसिख साकिन मानकसर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्दू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह कलसी वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश पुत्र मेघसिह के नाम दर्ज चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072–2075 के सांझा खाता में दर्ज आराजी मे से 0.506 है. आराजी का वादी संख्या 1 रोबिन सिह पुत्र जगदीश व 0.759 है. आराजी का वादी संख्या 2 कश्मीर सिह पुत्र जगदीश सिह एव 0.759 है. आराजी का वादी संख्या 3 हरमेल सिह पुत्र जगदीश सिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश सिह पुत्र मेघ सिह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 20 एमकेएस खाता संख्या 55/31 खाता आत्मा सिह वगैरा ज.स. 2072–2075 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 की जाती अराई की जगह जटसिख दूरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज X नल X मुब्लिक X निल X बाबत् X निल X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 02/06/2023 को जारी किया गया।

2/6/23

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल दीनगढ़